[2018] 9 एससीआर 1060

बाबजीबाबजी

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

(2009 की आपराधिक अपील संख्या 2159) 9 अगस्त, 2018

[आर. भानुमति और विनीत सरन, जेजे]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 – के अन्तर्गत दोषसिद्धि –जब यह स्थिर नहीं है – पीडब्ल्यू –4 ने शिकायत की कि जब उन्होंने एक सीट के आरक्षण के लिए इंडियन एयरलाइंस कार्यालय से संपर्क किया था, तो एयरलाइंस के एक कर्मचारी ने उन्हें अपीलकर्ता से संपर्क करने की सलाह दी – अपीलकर्ता ने उन्हें बताया कि हालांकि, लंबी प्रतीक्षा सूची है, लेकिन वह एक कन्फर्म टिकट की व्यवस्था कर सकता है और 1646 रुपये के वास्तविक किराये के विपरीत 2,100 रुपये की मांग की गयी – अपीलकर्ता को धारा 8 के तहत दोषी ठहराया गया: अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य अस्पष्ट हैं कि अपीलकर्ता ने किसके लिए धन की मांग की और क्या वह व्यक्ति जिसके लिए अपीलकर्ता ने धन की मांग की और प्राप्त किया, वह एक लोक सेवक था – हालांकि धन का प्राप्तकर्ता लोक सेवक नहीं हो सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि यह राशि एक लोक सेवक को अपनी आधिकारिक क्षमता में कुछ करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्राप्त की गई थी – यह दिखाने के लिए कि अपीलकर्ता ने टिकट की पुष्टि प्राप्त करने के लिए एक लोक सेवक को प्रेरित करने के लिए धन प्राप्त किया–किसी साक्ष्य के अभाव में, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को स्थिर नहीं रखा जा सकता है और उसे दोषमुक्त किया जाता है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8– अपराध के अंतर्गत – सिद्ध किए जाने वाले कारक – पर चर्चा की गई।

अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने

कहा: 1.1 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 के तहत अपराध को स्थापित करने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए: (i) आरोपी ने किसी से स्वीकार किया या प्राप्त किया, या स्वीकार

करने के लिए सहमत हुआ, या प्राप्त करने का प्रयास किया; (ii) स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए; (iii) कोई भी संतुष्टि; (iv) भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा उत्प्रेरित करने के उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में किसी 'लोक सेवक' अथवा धारा में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी को भी कोई सरकारी कार्य करने या करने या अनुग्रह दिखाने या कोई सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य करता है।[पैरा 5] [1062–डी–ई]

1060 बाबजी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

1.2 वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य अस्पष्ट हैं कि अपीलकर्ता ने किसके लिए धन की मांग की थी और क्या अपीलकर्ता ने जिस व्यक्ति के लिए धन की मांग की थी और प्राप्त किया था, वह एक लोक सेवक है। यद्यपि धन प्राप्त करने वाला, जैसा कि वर्तमान मामले में है, लोक सेवक नहीं हो सकता है, अभियोजन पक्ष को ठोस साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना होगा कि यह राशि उस लोक सेवक द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में कुछ करने के लिए एक लोक सेवक को प्रेरित करने के लिए प्राप्त की गई होगी। जहां तक इंडियन एयरलाइंस में सीट की पुष्टि का संबंध है, बीच में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो लोक सेवक या ट्रैवल एजेंसी या अन्य हो सकते हैं। यह दिखाने के लिए ठोस सबूत के अभाव में कि अपीलकर्ता ने पीडब्ल्यू –4 से पैसा प्राप्त किया था, एक लोक सेवक को टिकट की पुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। अपीलकर्ता को बरी किया जाता है। [पैरा 6] [1062–जी–एच; 1063–ए–बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:

2006 की आपराधिक अपील संख्या 2159।

वर्ष 2000 की आपराधिक अपील संख्या 421 में हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश के दिनांक 09–09–2005 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से पी वेंकट रेड्डी, प्रशांत त्यागी, अनिल कुमार टंडाले, वकील।

प्रतिवादी की ओर से पी .के. डे., सुश्री सुनीता रानी सिंह, ए.के. शर्मा, मुकेश कुमार मरोरिया, एडवोकेट।

न्यायालय का निर्णय

आर. भानुमति, जे. 1 द्वारा दिया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषसिद्धि से व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ता ने अपील प्रस्तुत की है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पीडब्ल्यू –4 सुमित अस्थाना ने सतर्कता अधिकारी, इंडियन एयरलाइंस, हैदराबाद को प्रदर्श पी1–शिकायत दी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 20.06.1995 को मद्रास की यात्रा के लिए फ्लाइट आईसी नंबर 948 में एक सीट आरक्षित करने के लिए इंडियन एयरलाइंस कार्यालय से संपर्क किया था, लेकिन एक लंबी प्रतीक्षा सूची थी और इंडियन एयरलाइंस का एक कर्मचारी था। जिसे वह नहीं जानता, उसने उसे श्रीनगर कॉलोनी, हैदराबाद में मेसर्स वरुण मूवीज के बाबजी (ए –1) से संपर्क करने के लिए कहा था। पीडब्ल्यू–4 ने 01.06.1995 को ए–1 से संपर्क किया था और ए–1 ने उन्हें बताया था कि लंबी प्रतीक्षा सूची है लेकिन वह कन्फर्म टिकट की व्यवस्था कर सकता है और 1646 रुपये के वास्तविक किराये के के विरूद्ध 2,100 रुपये की मांग की गयी। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर पीडब्ल्यू–1 के प्रबंधक, सतर्कता, इंडियन एयरलाइंस, हैदराबाद ने पुलिस अधीक्षक, सीबीआई हैदराबाद को रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 दी जिसमें कहा गया है कि ए–1 और ए–2 जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं।

पीडब्ल्यू –4 और पीडब्ल्यू –2 के बयानो के आधार पर,विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया है, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने की थी।

4. हमने अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री पी वेंकट रेड्डी और सीबीआई की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री पी.के.डे. को सुना है।

5. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 के तहत अपराध को स्थापित करने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए:

(i) आरोपी ने किसी से स्वीकार किया या प्राप्त किया, या स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ, या प्राप्त करने का प्रयास किया;

(i) स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए;

(i) कोई भी संतुष्टि;

(iv) भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा उत्प्रेरित करने के उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में किसी 'लोक सेवक' अथवा धारा में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी को भी कोई सरकारी कार्य करने या करने या अनुग्रह दिखाने या कोई सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य करता है।

6. अधिनियम की धारा 8 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, तीन चीजें आवश्यक हैं। सबसे पहले तो संतुष्टि का आग्रह या प्राप्ति हुई होगी। दूसरे, इस तरह की रिश्वत किसी लोक सेवक को कोई कार्य करने या एहसान करने या कुछ सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में मांगी गई होगी या भुगतान की गई होगी, जैसा कि अधिनियम की धारा 8 के तहत कहा गया है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य अस्पष्ट हैं कि अपीलकर्ता ने किसके लिए पैसे की मांग की थी और क्या वह व्यक्ति जिसके लिए अपीलकर्ता ने धन की मांग की और प्राप्त किया, वह एक लोक सेवक है। यद्यपि धन प्राप्त करने वाला, जैसा कि वर्तमान मामले में हो सकता है, लोक सेवक नहीं हो सकता है, अभियोजन पक्ष को ठोस साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना होगा कि यह राशि उस लोक सेवक द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में कुछ करने के लिए एक लोक सेवक को प्रेरित करने के लिए प्राप्त की गई होगी। जहां तक इंडियन एयरलाइंस में सीट की पुष्टि का संबंध है, बीच में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो लोक सेवक या ट्रैवल एजेंसी या अन्य हो सकते हैं। यह दिखाने के लिए ठोस सबूत के अभाव में कि अपीलकर्ता ने पीडब्ल्यू –4 से पैसा प्राप्त किया था, एक लोक सेवक को टिकट की पुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। परिणाम स्वरूप अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता को दोषमुक्त किया जाता है।

7. अपीलकर्ता जमानत पर है। उसके जमानत प्रपत्र उन्मोचित हो जायेंगे।

दिव्या पांडे अपील को स्वीकार किया गया।

अनुवाद द्वारा–

प्रतिभा सक्सेना–II
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बरेली।